

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (132) नि.काशि/अनु/06/199

दिनांक- 22/8/13


आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार अकादमी सत्र 2013-14 से निम्न महाविद्यालय को स्थाई अनामतित प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

पत्रा सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित विषय/ संकाय
132	एक्सीलेंस गवर्नर्स कॉलेज, सात्तासर रोड नेहरू पार्क के पास, जिला सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित विषय/ संकाय

- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनामतित प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय गवर्नर का निर्णय संबंधित स्थान स्थानीय निवास/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निरीक्षण करवाया जायेगा।
- संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राध्याप्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से रटॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुल्हा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था निदेशालय से सांठिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवधि में जमा करायेंगी।
- एपएडों की पूर्ण जानकारी ई-ई विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन0एर0एस/एन0सी0सी/सोवॉरिंग एवं रेंजिंग (स्काउट/गाईड) में से विन्ती थी एक सशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना सप्लायर एन0एर0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं गोवाइल नम्बर सहित 31 जुलाई, 2013 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय सम्बन्धी प्रवेश नीति 2013-14 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनामतित प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।


निदेशक,

कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -